साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय :विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21
बिहार सरकार का उपक्रम
CIN No. U40109BR2012SGC018890

संoसंo– 314 /　　　　　　　　　　　　दिनांक– 17/04/26 /

SB-II-CAB-Alleg-10112/24

श्री शंकर चौधरी, तदेन विद्युत् अधीक्षण अभियंता, विद्युत् आपूर्ति अंचल, पटना सम्प्रति विद्युत् अधीक्षण अभियंता (एस०टी०एफ०), विद्युत् आपूर्ति अंचल, पटना के विरूद्ध विद्युत् केंद्रीय भंडार, दीघा (बख्तियारपुर) में दिनांक– 24.08.2024 को घटित चोरी की घटना में 16 अदद पावर ट्रांसफार्मर में से 23161.5 KG Copper Coil, 37306 litre transformer oil तथा 112 studs की चोरी होने के कारण कंपनी को अनुमानित राशि 1,76,17,261/– (एक करोड़ छिहत्तर लाख सत्रह हजार दो सौ इकसठ) रूपए के राजस्व क्षति होने संबंधी निम्न आरोपों के संदर्भ में प्रपत्र "क" गठित कर कंपनी के संकल्प संख्या– 852 दिनांक– 06.11.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री कृष्णा नन्द झा, मुख्य अभियंता (सेवानिवृत)–सह–जाँच पदाधिकारी को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया :–

आरोप संख्या– 01 विद्युत् केंद्रीय भंडार, दीघा (बख्तियारपुर) में दिनांक– 24-08-2024 को कुल 16 अदद पावर ट्रांसफार्मर में से 23161.5 KG Copper Coil, 37306 litre transformer oil तथा 112 studs की चोरी होने के कारण कंपनी को अनुमानित राशि 1,76,17,261/– (एक करोड़ छिहत्तर लाख सत्रह हजार दो सौ इकसठ) रूपए की राजस्व क्षति हुई । विद्युत् अधीक्षण अभियंता के रूप में इनकी पूर्ण जिम्मेवारी थी कि विद्युत् प्रमंडलीय भंडार, बख्तियारपुर के परिसर में संचालित विद्युत् केंद्रीय भंडार, दीघा (बख्तियारपुर) में रखे गए भंडार सामग्रियों की सुरक्षा हेतु तत्पर एवं सचेत रहें । इनके द्वारा सतत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने के कारण उक्त चोरी की घटना घटी है ।

आरोप संख्या– 02 विद्युत् केंद्रीय भंडार, दीघा (बख्तियारपुर) के परिसर में 220/132/33 के०भी० ग्रीड उपकेन्द्र का निर्माण के कारण दीघा स्थित भंडार में भंडारित सभी सामग्री को बख्तियारपुर स्थित भंडार में स्थानांतरित किया जाना था । इनके द्वारा Transition phase में विद्युत् केंद्रीय भंडार, दीघा (बख्तियारपुर) में पर्याप्त कर्मियों को प्रतिनियुक्त किये जाने संबंधी अग्रतर कार्रवाई ससमय नहीं की गई । भंडार कर्मियों की कमी के कारण ही चोरी की घटना को ससमय चिन्हित नहीं किया जा सका ।

आरोप संख्या– 03 इनके द्वारा घटना के पूर्व भंडार में मुख्य द्वार पर भंडार/विद्युत् उपकेन्द्र में आने जाने वाले आगंतुकों/कर्मियों/वाहनों की In–Out का ब्यौरा तैयार करने हेतु सुरक्षा रक्षकों को निदेशित नहीं किया गया जिसके कारण व्यक्तियों एवं वाहनों का यार्ड में प्रवेश को Regulate नहीं किया जा सका ।

आरोप संख्या– 04 दिनांक– 28-08-2024 को किये गए जाँच के दौरान भंडार में अधिष्ठापित सभी CCTV कैमरा खराब पाए गए । पूर्व में समीक्षात्मक बैठक के दौरान विद्युत् अधीक्षण अभियंता, विद्युत् आपूर्ति अंचल, पटना एवं विद्युत् कार्यपालक अभियंता, विद्युत् केंद्रीय भंडार, दीघा को खराब CCTV कैमरा को ठीक कराने हेतु निदेशित किया गया था । विद्युत् अधीक्षण अभियंता, विद्युत् आपूर्ति अंचल, पटना के पत्रांक– 546 दिनांक– 16-03-2024 द्वारा CCTV कैमरा ठीक कराने की पुष्टि की गई परन्तु निरीक्षण के दौरान सभी CCTV कैमरा खराब पाए गए । भंडार में अधिष्ठापित सभी CCTV कैमरों का पुनः ख़राब हो जाने पर इनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया और न ही इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की गई ।

<u>आरोप संख्या– 05</u> विद्युत् केंद्रीय भंडार, दीघा (बख्तियारपुर) में प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों द्वारा भंडार के यार्ड में अधिष्ठापित lights प्रायः खराब होने की सूचना दी गई परन्तु इनके द्वारा उक्त के सन्दर्भ में संज्ञान नहीं लिया गया। चोरी की घटना के समय भी भंडार में lights कार्यरत नहीं थे।

<u>आरोप संख्या– 06</u> जाँच के दौरान विद्युत् केंद्रीय भंडार, दीघा (बख्तियारपुर) में छह–सात फीट का घास / झाड़ी चहारदीवारी के पास पाया गया जिसके कारण भंडार की सुरक्षा प्रभावित हुई। उक्त घास/झाड़ी के कारण चहारदीवारी पर लगे कटीले तार को हटाकर भंडार में चोरी होने की प्रबल संभावना दृष्टिगत हुई जिसे पूर्व में चिन्हित नहीं किया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनकी जिम्मेवारी थी कि भंडार परिसर में उपस्थित लम्बे झाड़ियों को हटाये जाने हेतु कार्रवाई करते जो कि नहीं किया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक–03, दिनांक–05.01.26 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री शंकर चौधरी, तदेन विद्युत् अधीक्षण अभियंता, विद्युत् आपूर्ति अंचल, पटना सम्प्रति विद्युत् अधीक्षण अभियंता (एस०टी०एफ०), विद्युत् आपूर्ति अंचल, पटना के विरूद्ध उपर्युक्त सभी आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष दिया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं संबंधित अभिलेखों के सम्यक् समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा जाँच पदाधिकारी द्वारा सभी आरोपों को अप्रमाणित पाए जाने के दिए गए मंतव्य से सहमत होते हुए श्री शंकर चौधरी, तदेन विद्युत् अधीक्षण अभियंता, विद्युत् आपूर्ति अंचल, पटना सम्प्रति विद्युत् अधीक्षण अभियंता (एस०टी०एफ०), विद्युत् आपूर्ति अंचल, पटना को आरोप मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार, श्री शंकर चौधरी, तदेन विद्युत् अधीक्षण अभियंता, विद्युत् आपूर्ति अंचल, पटना सम्प्रति विद्युत् अधीक्षण अभियंता (एस०टी०एफ०), विद्युत् आपूर्ति अंचल, पटना को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत संकल्प की एक प्रति श्री शंकर चौधरी, विद्युत् अधीक्षण अभियंता (एस०टी०एफ०), विद्युत् आपूर्ति अंचल, पटना को हस्तगत करा दिया जाय।

आदेश से,

ह0/–

(शत्रुघ्न कुमार सुमन)
अवर सचिव

ज्ञापांक../ दिनांक../

निबंधित

प्रतिलिपि– श्री शंकर चौधरी, विद्युत् अधीक्षण अभियंता (एस०टी०एफ०), विद्युत् आपूर्ति अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शत्रुघ्न कुमार सुमन)
अवर सचिव

साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय :विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21
बिहार सरकार का उपक्रम
CIN No. U40109BR2012SGC018890

ज्ञापांक 315 / दिनांक 17/04/25 /

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, पेसू क्षेत्र, पटना/सभी उपमहाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, सभी लेखा पदाधिकारी (लेखा), विद्युत आपूर्ति अंचल, /सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल,/सभी उपमहाप्रबंधक/उप सचिव/अवर सचिव/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 /डी0 बी0 ए0 (आई0 टी0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डी0 बी0 ए0 (आई0 टी0) से अनुरोध है कि इस संकल्प की प्रति कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाए।

17/4/25

(शत्रुघ्न कुमार सुमन)
अवर सचिव

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत् भवन, बेली रोड, पटना
Email ID- md.sbpdcl@gmail.com; Ph. No. 0612-2504045; Fax No. 0612-2504532.